झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
दशम् (मानसून) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 18 श्रावण, 1939 (श0) / 09 अगस्त, 2017 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(01)–	अ0सू0–18	श्री संजीव सिंह	पथों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।	नगर विकास एवं आवास	02.08.17
(02)–	अ0सू0–06	श्री योगेन्द्र प्रसाद	भाड़ा सह कय निति स्पष्ट करना।	नगर विकास एवं आवास	17.07.17
(03)–	अ0सू0–11	श्री योगेश्वर महतो	प्रधान मंत्री आवास योजना का प्रावधान।	नगर विकास एवं आवास	26.07.17
(04)–	अ0सू0–07	श्री राधाकृष्ण किशोर	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.07.17
(05)–	अ0सू0–04	श्री जगरनाथ महतो	कार्य पूर्ण कराना।	भवन निर्माण (भवन निर्माण विभाग से कल्याण विभाग में स्थानान्तरित)	14.07.17
(06)–	अ0सू0–02	श्री अशोक कुमार	अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना।	नगर विकास एवं आवास	14.07.17
(07)–	अ0सू0–17	श्री राज सिन्हा	दोषियों को चिन्हित करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	02.08.17
(08)–	अ0सू0–13	श्री प्रदीप यादव	दोषी पर कार्रवाई।	नगर विकास	27.07.17
(09)–	अ0सू0–15	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	शौचालय हेतु बीस हजार देना।	पेयजल एवं स्वच्छता	31.07.17

कृ0पृ0उ0–

(10)- अ0सू0-08	श्री जानकी प्रसाद यादव	ओभर ब्रिज का निर्माण।	ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास से पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित)	21.07.17
(11)- अ0सू0-12	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	दोषी पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास से नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित)	27.07.17
(12)- अ0सू0-01	श्री जगरनाथ महतो	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	14.07.17
(13)- अ0सू0-10	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	दोषी पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	21.07.17
(14)- अ0सू0-19	श्री संजीव सिंह	कार्य पूर्ण कराना।	नगर विकास एवं आवास	02.08.17
(15)- अ0सू0-03	श्री अशोक कुमार	जलापूर्ति योजना लागू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14.07.17
(16)- अ0सू0-14	श्री प्रदीप यादव	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से नगर विकास विभाग में स्थानान्तरित)	27.07.17
(17)- अ0सू0-16	श्री राज सिन्हा	प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करना।	नगर विकास एवं आवास	02.08.17
(18)- अ0सू0-05	श्री राधाकृष्ण किशोर	सड़क मरम्मति करना।	ग्रामीण विकास	17.07.17
(19)- अ0सू0-09	श्री जानकी प्रसाद यादव	दोषी पर कार्रवाई एवं जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.07.17
(20)- अ0सू0-24	श्री दीपक बिरूआ	दोषी संवेदक/अभियंता पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	05.08.17
(21)- अ0सू0-23	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई एवं सड़क निर्माण।	पथ निर्माण	05.08.17
(22)- अ0सू0-20	श्री हरिकृष्ण सिंह	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	05.08.17
(23)- अ0सू0-22	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	05.08.17
(24)- अ0सू0-21	श्री मनीष जायसवाल	दोषियों पर कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	05.08.17

राँची
दिनांकः- 09 अगस्त,2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-05/2015-2367/वि0स0,राँची,दिनांकः-07 अगस्त,2017 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(शरद सहाय)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0 पृ0 उ0------

ज्ञाप संख्याः–:–झा0वि0स0–05/2015.....2367...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....07.....अगस्त,2017 ई0।

प्रतिलिपि :–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

शरद सहाय
07/8/17
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–:–झा0वि0स0–05/2015.....2367...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....07.....अगस्त,2017 ई0।

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

शरद सहाय
07/8/17
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मंगल

श्री संजीव सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.08.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०स०–18 का उत्तर :–

क्र०	अल्प सूचित प्रश्न सं०–18	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि झरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत को नगर निगम, धनबाद में शामिल करने के पश्चात् अधिकांश सड़कों को निर्माण पूर्णतः नहीं किया जा सका है;	धनबाद नगर निगम, झरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धनबाद नगर निगम में शामिल सभी पथों/सड़कों के निर्माण हेतु कृत संकल्प है। आवंटन की उपलब्धता एवं बोर्ड में पारित होने के पश्चात् उल्लेखित पथों का निर्माण कराया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि जितनी पथों का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत की गयी है, उसके अनुपात में झरिया विधान सभा क्षेत्र के नगर विकास अन्तर्गत क्षेत्रों को विकासित (पथों) का निर्माण की गयी है;	झरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धनबाद नगर निगम द्वारा उल्लेखित क्षेत्र के शहरी एरिया में निर्मित या निर्माणाधीन सड़कों की कुल संख्या–36 है, जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 8,51,00000/– है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर निगम, धनबाद अन्तर्गत झरिया विधान सभा अन्तर्गत सभी नगरीय पथों का जीर्णोद्वार व निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/वि0स0/अ०सू०प्र०–18/18/2017/न०वि०आ० 5086 **राँची, दिनांक :–** 08/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–2328, दि0–02.08.2017 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
08/08/17

Munni/Desktop/Bidhan shabha-m-16-72

(02)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–09.08.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के ससबेड़ा पूर्वी पंचायत में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के फेज–I, II, III, IV, V, VI, 6 MIG एवं सर्विस कैटेगरी सहित कुल 998 क्वार्टर हैं। उक्त सभी क्वार्टर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न आय वर्ग के कुल 1010 मकान/फ्लैट निर्मित हैं, जिनमें से कुल 888 मकानों/फ्लैटों में वर्षों से अतिक्रमण कर लोग निवासित हैं। चिन्हित सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया है। अतिक्रमित व्यक्तियों द्वारा कोई भी अभिलेख अभी तक धनबाद प्रमंडल को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जाय कि सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि भाड़ा–सह क्रय हेतु निर्मित मकानों/फ्लैटों में वर्षों से अवैध रूप से निवासित लोगों को नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–1817 दिनांक–17.03.2017 के आलोक में बोर्ड की समीक्षा बैठक दिनांक–28.03.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार भाड़ा–सह क्रय पर आवंटन के लिए नोटिस–सह शपथ पत्र का प्रारूप कार्यपालक अभियन्ता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, धनबाद के द्वारा दिया गया है, जिसमें भाड़ा–सह क्रय की राशि स्पष्ट नहीं की गयी है, जिसके कारण आवासों में निवासित लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।	आंशिक स्वीरकारात्मक। यह बात सही है कि भाड़ा–सह क्रय हेतु निर्मित मकानों/फ्लैटों में वर्षों से अवैध रूप से निवासित लोगों को नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–1817 दिनांक–17.03.2017 के आलोक में बोर्ड की समीक्षा बैठक दिनांक–28.03.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार अवैध रूप से आवासित लोगों को नोटिस निर्गत किया गया है, जिसमें कागजात समर्पित करने हेतु 15 दिनों का समय–सीमा निर्धारित किया गया है। उक्त नोटिस के आलोक में प्राप्त उत्तर पर सम्यक निर्णय लिया जायेगा कि वे नियमितीकरण का अहर्त्ता रखते हैं या नहीं। मकान/फ्लैटों की कीमत नियमानुसार बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त क्वार्टरों को Category wise भाड़ा–सह क्रय की राशि एवं अन्य शर्त्तें स्पष्ट करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त विभागीय पत्र के अनुसार निर्धारित 15 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् अभी तक अतिक्रमण कर रहे हैं। किसी भी निवासित लोगों द्वारा नोटिस का उत्तर कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, धनबाद प्रमंडल में समर्पित किये जाने की सूचना नहीं है। भाड़ा–सह क्रय की राशि एवं दण्ड राशि दिनांक–15.08.2017 तक निर्धारित कर अतिक्रमणकारियों को सूचित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–7/न0वि0आ0/अ0सू0–06/2017 4983 राँची, दिनांक– 02/08/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–2026, दिनांक–17.07.2017 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.08.2017

सरकार के अवर सचिव।

(3)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.08.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०स०–11 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में जहाँ–जहाँ सरकारी उपक्रम स्थापित है, वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण मज़दूर वर्षों से रहकर ठेला–खोमचा जैसा छोटा–मोटा व्यवसाय एवं मजदूरी कर अपना जीवन बसर कर रहे है, और उक्त स्थानों पर ही वैसे लोगों का अपना घर–द्वार हो गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार की महत्वकांक्षी योजना ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' देने का प्रावधान नहीं है, जिससे एक बड़ा वर्ग आवास योजना से वंचित हो जाएगा;	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप विभिन्न विकल्पों के माध्यम से लाभुकों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे सभी सरकारी उपक्रमों के चारों तरफ बसे ग्रामीण मजदूरों, छोटे व्यवसायीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के लिए प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभुकों के लिए निर्धारित अर्हताओं को धारण करने वाले उक्त प्रकार के ग्रामीण मजदूर उक्त योजना का लाभ उठा सकते है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0/अ०सू०प्र०–01/2017 5039/ **राँची, दिनांक :–** 07/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–2217, दि0–26.07.2017 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/08/17

सरकार के अवर सचिव।

Munni/Desktop/Bidhan shabha-m-16-71

(4)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक– 09.08.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07 का उत्तरः–

क्र0	क्या मंत्री पेयजल एंव स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की कुल आबादी 03 करोड़ 29 लाख के विरूद्व 31 मार्च 2017 तक मात्र 13 से 15 प्रतिशत आबादी को पाईप लाईन जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल उपलब्ध है, जबकि नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण कुल आबादी के 43.80 प्रतिशत हैण्डपम्प के माध्यम से 37 प्रतिशत आबादी कुँआ से तथा 20 प्रतिशत आबादी खुले स्त्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करते है।	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य की कुल ग्रामीण आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 2.5055 करोड (दो करोड़ पचास लाख पचपन हजार) है। 31 मार्च 2017 तक भारत सरकार के India Water Portal पर दी गई जानकारी के अनुसार पाईप जलापूर्ति से आच्छादन लगभग 30 प्रतिशत है। वही हैण्डपम्प से आच्छादन 98 प्रतिशत से अधिक है। कुल कुआँ (सेन्टरी कूप) की संख्या–10,747 (दस हजार सात सौ सैंतालीस) है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के कुल आबादी के विरूद्व मात्र 10 प्रतिशत लोगों को ही उपचारित शुद्ध पेयजल उपलब्ध है।	उपर्युक्त कंडिका से ग्रामीण क्षेत्रों के आच्छादन की स्थिति स्पष्ट है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण आबादी के लिए पाईप लाईन जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	नीति आयोग द्वारा SDG (Sustainable Development Goal के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति से वर्ष–2020 तक 50 प्रतिशत आबादी एवं वर्ष–2030 तक शत प्रतिशत आबादी के आच्छादन का लक्ष्य है। इस संबंध में विभाग राज्य बजट, केन्द्र प्रायोजित योजना एव DMFT के मद से प्राप्त राशि के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0–01–20/2017– 3681 राँची, दिनांक– 8/8/17

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0 प्र0– 2148/वि0स0, दिनांक– 21.07.2017 के कम में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8/17

(शिव किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ अ0सू0–01–20/2017–3681 राँची, दिनांक– 8/8/17

प्रतिलिपि – अवर सचिव/ सहायक–प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/8/17

(शिव किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव।

08/08/17

(N)

(05)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–09.08.2017 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–4 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलांतर्गत नावाडीह प्रखण्ड के देवी महतो इण्टर कॉलेज नावाडीह में कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा था जो आज तक अधूरा है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रश्नगत छात्रावास निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय योजनागत योजनांतर्गत (100%) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है, और इसके तहत भारत सरकार से विमुक्त राशि जिला को आवंटित है। शेष राशि की मांग भारत सरकार से की गयी है, राशि अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि छात्रावास के अभाव में छात्र–छात्राओं को काफी परेशानी होती है;	बोकारो जिला में कल्याण विभाग द्वारा 12 छात्रावास निर्मित/संचालित है जिसमें रहकर छात्र–छात्रा पठन–पाठन कार्य कर रहें हैं।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त अधूरे छात्रावास का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–22/2016–क– 2335 राँची, दिनांक– 3.8.17

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1996, दिनांक–14.07.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी० के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(06)

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.08.17 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 की उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा अधिसूचित क्षेत्र के लिए सभी आहर्त्ताओं को पूरा करती है ;	स्वीकारात्मक। गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा को नगर पंचायत के रूप में घोषित किये जाने हेतु उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–793 दिनांक–25.11.2016 से प्रस्ताव प्राप्त हुआ किन्तु प्रस्ताव में कतिपय त्रृटियाँ पायी गयी, जिसका निराकरण करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–6903 दिनांक–16.12.2016 (स्मार पत्रांक–684 दि०–24.01.2017) द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से अनुरोध किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को संबोधित अपने पत्रांक–1052 दि०–20.07.2017 से त्रुटि निराकरण के उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया गया है। विदित हो कि **"झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011"** की धारा–3, 4, 5, 6 तथा 8 एवं "शहरी क्षेत्र मार्ग निर्देशिका निर्धारण नीति–2006" में नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान एवं अहर्त्ता वर्णित है। उपरोक्त प्रावधान के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा से स्पष्ट अनुशंसा एवं प्रस्ताव उपलब्ध होने पर महागामा को नगर पंचायत के रूप में गठन किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि सभी आहर्त्ताओं को पूरा करते हुए भी अभी तक महागामा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है;	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडल मुख्यालय महागामा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये वगैर वहाँ का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है ;	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–8/अल्प सू०/105/2017/न०वि०आ० 4981 राँची, दिनांकः 02/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–1995, दिनांक–14.07.2017 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/08/17
सरकार के उप सचिव।

manju/E/Bidhan Shabh Question(New)-307

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.08.17 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं० - अ० सू० - 13 का उत्तर:-

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नगर निगम के कचड़ा ढुलाई मे A to Z कम्पनी ने गलत किया था और उसकी भुगतान की गड़बड़ी को प्रधान महालेखाकार ने पकड़ा था । (प्रभात खबर दिनांक- 28.06.2017 मे प्रकाशित)	स्वीकारात्मक
2.	क्या प्रधान महालेखाकार की शिकायत पर लोकायुक्त, झारखण्ड ने कम्पनी के विरुध्द FIR 15 दिनों के अंदर दर्ज करने एवं अग्रेतर कार्यवाई का निर्देश दिया था ।	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपरोक्त खंड स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकायुक्त के आदेश के अनुकूल कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक , नहीं तो क्यों ?	माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड के आदेश के आलोक में दिनांक 31.07.17 को कोतवाली थाना में Kotwali PS Case No - 205/2017 दर्ज करा दिया गया है ।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक - SUDA/ SBM/ VS/ 38/2017.....5075..... **दिनांक** .....08/08/17.....

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक - 2236, दिनांक - 27.07.17 के आलोक में 200 सौ प्रतियों में प्रेषित ।

08/08/17

सरकार के अवर सचिव ।

(09)

माननीय श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स॰वि॰स॰, द्वारा दिनांक 09.08.2017 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं॰ अ0सू0–15 का उत्तर

क्र॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य को खुले में शौच किये जाने से प्रत्येक गाँव को मुक्त किये जाने का संकल्प सरकार ने लिया है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गाँव में एक शौचालय के निर्माण हेतु मात्र बारह हजार रूपये का प्रावधान किया गया है जो इस मँहगाई के दौर में उक्त राशि पर्याप्त नहीं है,	वस्तु स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर दी जाने वाली राशि, प्रोत्साहन की राशि है न कि शौचालय निर्माण की लागत राशि। यह एक राष्ट्रीय फ्लेगशिप कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार द्वारा 12000/– (बारह हजार) रूपये प्रति शौचालय निर्धारित की गई है जो प्रोत्साहन राशि के रूप में है। इसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वर्त्तमान में अच्छी गुणवत्ता का शौचालय लाभुक के सहयोग से बनाया जा रहा है। राज्य में लगभग 14.50 लाख शौचालय का निर्माण किया जा चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में शौचालय निर्माण हेतु कम से कम बीस हजार रूपये (प्रति शौचालय) देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	अस्वीकारत्मक यह राशि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एक रूप ही निर्धारित की गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न– 15/2017 – 694, दिनांक 07-08-17
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं0प्र0–2292/वि0स0, दिनांक 31.07.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/08/17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,

ज्ञापांकः SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न– 15/2017 – 694, दिनांक 07-08-17
प्रतिलिपिः सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/17
अवर सचिव

(10)

मा0, स0वि0स0, श्री जानकी प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 09.08.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 08 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के जयनगर प्रखण्ड में हीरोडीह रेलवे स्टेशन से बांझडीह KTPS में कोयला ढुलाई हेतु DVC द्वारा एक ग्रैण्ड–कोड लाईन का निर्माण कराया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि इस लाईन के निर्माण से काफी घनी आबादी वाला 15–16 गाँव टापू के जैसा घिर गया है एवं हीरोडीह स्टेशन के सामने राजकीय मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, इण्टर कॉलेज है ; 3. क्या यह बात सही है कि कोयला ढुलाई के कारण उक्त रेलवे लाईन पर गुड्स ट्रेन घंटों लगातार खड़ी रहती है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों, छात्र–छात्राओं एवं अन्यादि को जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से गुजरना पड़ता है, दिनांक 24.06.2017 को कई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुझे भी काफी समय इंन्तजार के बाद ट्रेन के नीचे से ही होकर गुजरना पड़ा ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रैण्ड–कोड रेलवे लाईन पर स्थित हीरोडीह, कन्दरापड़ी और रेभनाडीह में फूट ओभर ब्रिज निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है, बल्कि कोडरमा थरमल पावर स्टेशन (DVC) एवं रेलवे से संबंधित है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2017 4565(S) राँची/दिनांक : 08/8/17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2142 दिनांक 21.07.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

8.8.17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2017 4565(S) राँची/दिनांक : 08/8/17

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

8.8.17

सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.08.2017 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में गिरिडीह शहरी बस स्टैण्ड के पीछे खाली पड़ी भूमि पर जिला प्रशासन ने एक करोड़ रूपये राशि से सिद्धू–कान्हू पार्क का निर्माण हेतु विशेष कार्य प्रमण्डल को कार्य एजेंसी बनाया था, जिसके निर्माण कार्य के नाम पर राशि की निकासी कर उक्त पार्क के निर्माण कार्य को अब तक अधूरा ही छोड़ दी गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अभी हाल ही में पुनः गिरिडीह में अमृत योजना के तहत् लगभग एक करोड़ रूपये राशि की एक पार्क का शिलान्यास की गई है ;	नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 88,43,500/–रूपये की राशि गिरिडीह में पार्क निर्माण हेतु अमृत योजना के तहत् आवंटित की गयी है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित पार्क के वर्षो से लंबित निर्माण कार्य को पूरा कराते हुए तत्कालीन संबंधित अभियंता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पार्क के सामने की भूमि पर अतिक्रमण है जिसे हटाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष पमण्डल, गिरिडीह के द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से अनुरोध किया गया है। अतिक्रमण हटते ही पार्क को पूर्ण कराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 144/2017/ग्रा0का0 9278 राँची, दिनांक : 07-8-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2242 वि0स0 दिनांक 27.07.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 144/2017/ग्रा0का0 9278 राँची, दिनांक : 07-8-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) –144/2017/ग्रा0का0 9278 राँची, दिनांक : 07-8-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.08.17 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–01

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के बिरनी पंचायत के सिरसावेड़ा एवं चपरी पंचायत के बगडेगवा के बीच जोरिया में पुल निर्माण नहीं कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुल नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन करने में बरसात के समय काफी कठिनाई होती है,	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित जगह पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक अन्य पुल का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। सीमित बजटीय उपबंध रहने के कारण विषयांकित पुलों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132/2017/ग्रा0का0 9212 राँची, दिनांक– 02.8.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1991 वि0स0 दिनांक 14.07.2017 एवं ज्ञाप सं0 प्र0–1939 वि0स0 दिनांक 07.07.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132/2017/ग्रा0का0 9212 राँची, दिनांक– 02.8.17

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132/2017/ग्रा0का0 9212 राँची, दिनांक– 02.8.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(14)

श्री संजीव सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–09.8.2017 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	अल्प–सूचित प्रश्न	सरकार का प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि झरिया विधान सभा अंतर्गत धनबाद स्थित "राजा तालाब" का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण 3 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य प्रगति पर है, जो आज तक समाप्त नहीं हो सका।	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम फेज का Desilting Earth Work किया जा चुका है एवं दूसरे फेज के कार्य हेतु परामर्शी M/s Habitat Design के द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है। DPR निर्माण होते ही सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निविदा प्रकाशित कर कार्य कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी परामर्शी के द्वारा DPR बनाया गया था, परन्तु DPR त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनः DPR बनाया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा खण्ड–(1) में वर्णित स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु पूर्ण राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कार्यों को अविलंब पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दूसरे फेज का DPR तैयार हो जाने के पश्चात् तकनीकी स्वीकृति उपरांत योजना कार्यान्वयन कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / वि०मं०प्र०(अल्प–सूचित)–02 / 2017 न०वि०आ० 5074 राँची, दिनांक 08/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–2329 वि०स० दिनांक–02.08.2017 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/8/17.
सरकार के अवर सचिव।

Sunanda/E/Vidhan Sabha-Answer-32

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 09.08.2017 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0– 03 का उत्तरः–

क्र0	क्या मंत्री पेयजल एंव स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्षों से बनकर तैयार है, जिसमें पानी का टेस्टिंग हो चुका है, परन्तु विभागीय अड़चन के कारण आज तक उसे चालू नही किया जा रहा है।	**अस्वीकारत्मक।** महागामा जलापूर्ति योजना में Clear Water Motor का Installation कार्य एवं Laying of Distribution कार्य अभी नही किया गया है, जिस कारण से उक्त योजना का पाईप Water Testing कार्य नही किया जा सका है।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना में सिर्फ डिलेवरी पाईप जोड़ने का कार्य बाकी है, परन्तु विभाग द्वारा इतनी बड़ी योजना बनाकर उसे चालू नहीं किया जा रहा है जबकि पूरे शहर की जनता इस भीषण गर्मी में पानी के लिए भटक रही है। इस योजना के चालू होने से करीब चालीस हजार लोगों को पानी मिलने लगेगा। यह योजना मात्र दो तीन दिनों में ही चालू कराया जा सकता है।	**आंशिक स्वीकारत्मक।** महागामा जलापूर्ति योजना में Distribution डिलेवरी पाईप जोड़ने के अलावा Clear Water Motor Installation कार्य भी अपूर्ण है। इन कार्यों को कराने के बाद ही पाईप Water Testing कार्य किया जा सकता है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना की निगरानी जॉच चल रही थी, परन्तु निगरानी विभाग का जाँच प्रक्रिया भी पूर्ण किया जा चुका है, एवं निगरानी विभाग का पत्रांक– 4235 दिनांक– 31.03.2017 द्वारा प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पत्र भेज कर दोषी 11 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुशंसा किया गया है।	**आंशिक स्वीकारात्मक।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-- 4235 दिनांक–31.03.2017 के द्वारा दोषी पर प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंतव्य माँगा गया था समीक्षोपरांत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों के निराकरण एवं विभागीय पत्रांक– 4199 दिनांक– 23.09.2015 के निगरानी आयुक्त, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को समर्पित जाँच हेतु जाँच बिन्दुओं पर समेकित प्रतिवेदन की माँग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की गई थी। उक्त के क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 6063 दिनांक– 15.05.2017 एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक– 1022 दिनांक– 11.07.2017 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। FIR करने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलम्ब चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	विधिसम्मत कार्रवाई शीध्र की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–7/अ0 सू0–01–22/2017– 3672 राँची, दिनांक– 7/8/17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापं संख्या प्र0 – 1994 दिनांक – 14.07.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–7/ अ0 सू0–01–22/2017– 3672 राँची, दिनांक– 7/8/17

प्रतिलिपि–उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा–05 पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

दिनांक - 09/08/17 को पूछा जाने वाला (16)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर सामग्री

क्रम	अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उप राजधानी दुमका में पेयज़ल आपूर्ति योजना गर्मी महीनों में मई और जून में पूर्णतः पानी देने में असफल रही है:	अस्वीकारात्मक / शहरी जलापूर्ति योजना से दुमका में गर्मी के महीनों में पानी देने का कार्य किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि उप राजधानी दुमका में पेयजल आपूर्ति योजना गर्मी महीनों में मई और जून में पूर्णतः पानी देने में असफल रही है:	अस्वीकारात्मक / दुमका शहरी जलापूर्ति योजना के वाटर यूजर चार्जेज द्वारा प्राप्त राशि से पेयजल एवं रख–रखाव हेतु मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन्स कम्पनी को प्रति वर्ष 1.44 करोड़ (एक करोड़ चौवालीस लाख) रूपये का भुगतान किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों स्वीकार्य है, तो उपरोक्त दोनों पहलुओं पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करना चाहेगी ताकि आमजनों को पेयजल उपलब्ध हो सके, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? यदि उपरोक्त खण्डों स्वीकार्य है, तो उपरोक्त दोनों पहलुओं पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करना चाहेगी ताकि आमजनों को पेयजल उपलब्ध हो सके, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शहरी जलापूर्ति योजना के अतिरिक्त हिजला जलापूर्ति तथा टैंकर से आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

ज्ञापांकः– 05 / वि०स० / अल्पसूचित–14 / 17 / 2017 / न०वि०आ० 5042 राँची, दिनांकः– 07/08/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को ज्ञाप सं० प्र० 2235 दिनांक–27.07.17 के प्रसंग में 200 प्रतियों में एवं श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

चन्देश्वर राम,
सरकार के अवर सचिव
07/08/2017

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा दिनांक–09.08.17 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–16 का उत्तरः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास बनाने में मदद करने हेतु लक्ष्य तय किया गया है जो अबतक पूरा नहीं किया जा सका है,	अस्वीकारात्मक। निकायवार Housing For All Plan of Action (HFAPoA) तैयार किया गया है, जिसके आधार पर योजना की स्वीकृति फेजवार भारत सरकार से प्राप्त करते हुए वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमंदों को नियमानुसार आवास मुहैया कराने का प्रावधान है। सम्प्रति 4,111 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 39758 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को लाभुकों तक पहुंचाने के मामले में विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही से योजना का लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो पाया है,	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप विभिन्न विकल्पों के माध्यम से स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसकी योजनावधि वर्ष 2015 से 2022 तक है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/अ०सू०प्र०–03/2017 5073 राँची, दिनांक 08/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–2327 वि०स० दिनांक–02.08.2017 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक, विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/08/2017
सरकार के अवर सचिव।

Sunanda/E/Vidhan Sabha-Answer-33

दिनांक–09.08.2017 को माननीय स०वि०स० श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–05

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि प्रधानमंत्री ग्राम–सड़क योजना अन्तर्गत फेज–1 (2001–02) से फेज–IX (2011-12) तक झारखण्ड राज्य में कुल 13165 कि0मी0 पथ का निर्माण किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–I में वर्णित प्रधानमंत्री ग्राम–सड़क योजना की सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, बताएगी कि खण्ड–I में वर्णित पथों के वृहद मरम्मति के लिए सरकार की कौन सी योजना है?	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पथ की मरम्मति एवं संधरण हेतु वर्त्तमान में तीन तरह के पॉलीसी अपनाई जा रही है :– 1. पांच वर्ष की रूटीन मरम्मति जिसका एकरारनामा संवेदक से PMGSY Construction कार्य के साथ–साथ किया जाता है पथ पूर्ण के उपरान्त मरम्मति कार्य शुरू हो जाती है। 2. पांच वर्ष बीतने के बाद मरम्मति जिन पथों की स्थिति पांच वर्ष रूटीन मरम्मति के पश्चात् भी खराब रहती है वैसे पथों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से मरम्मति कराया जाता है। 3. हाल फिलहाल में आई0एल0ओ0 (इन्टरनेशलन लेवर ऑरगेनाईजेशन) के पहल पर 1 (एक) वर्ष पी0बी0एम0सी0 (Performance Based Maintenance Contract) के तहत् पायलेट प्रोजेक्ट में रांची एवं खूंटी जिलों में मरम्मति कार्य का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–02 (वि0स0–12)–870 / 17 ग्रा0का0मा0.....9110.....राँची / दिनांक–.....28.7.17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2025, दिनांक– 17.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–02 (वि0स0–12)–870 / 17 ग्रा0का0मा0.....9110.....राँची / दिनांक–.....28.7.17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–02 (वि0स0–12)–870 / 17 ग्रा0का0मा0.....9110.....राँची / दिनांक–.....28.7.17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

माननीय विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव, स०वि०स० द्वारा दि0–09.08.2017 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–09 का उत्तर।

क्र0 सं0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर–
1	क्या यह बात सही है कि सरकार की महत्वकांक्षी योजना "लघु जलापूर्ति योजना" अन्तर्गत मेरे बरकट्ठा विधान सभा के बरकट्ठा प्रखण्ड के बेलकप्पी, लेवड़ा, जमुआ, झुरझुरी, मासीपीढ़ी सहित चलकुशा प्रखण्ड के सलैयडीह, खरगू आदि गाँवों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य हुआ है, परन्तु इससे एक भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, यह योजना बिल्कुल बंद पड़ा है;	वस्तुस्थिति यह है कि बरकट्ठा विधान सभा के बरकट्ठा प्रखण्ड में छः योजना यथा(1) बेलकप्पी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना(2) लेबड़ा (जमुआ) लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना(3) गुंजरा (झुरझुरी) लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना(4) मासीपीढ़ी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना(5)सलैयडीह लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं (6) खरगू लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना है। बेलकप्पी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू है। लेबरा और सलेहडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना VWSC को हस्तांतरित है जिसे चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। मासीपीढ़ी एवं गुजरा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना संवेदक द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसे शीघ्र चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। खरगू लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना विद्युत दोष के कारण चालू नहीं है। झारखण्ड विद्युत वितरण निगम द्वारा कनेक्शन देने पर चालू किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना का ऐसा हश्र होने का कारण इसमें भारी अनियमितता, संवेदक एवं विभागीय मिली–भगत से घटिया निर्माण किया जाता है, जिसकी जाँच कराने की आवश्यकता है;	संवेदक द्वारा योजना का कार्य पूर्ण होने की अवधि तक योजना का कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप संवेदक एवं तत्कालीन कार्यपालक अभियंता इसके लिए दोषी हैं जिनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कर दोषियों को दण्डित करने एवं उपरोक्त खण्ड–1 में वर्णित गाँवों के अधूरे कार्यों को पूरा कराते हुए ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0 (अ0सू0)–01/2017 पेय0 – 1214/SWSM दिनांक 7.8.17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक 2149 दिनांक 21.07.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 8/वि0स0 (अ0सू0)–01/2017 पेय0 – 1214/SWSM — दिनांक 7.8.17

प्रतिलिपिः उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.08.2017 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–24

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूआ, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प0 सिंहभूम, राँची, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़, लातेहार एवं लोहरदगा जिले के पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल पुलिया करोड़ों की लागत से बनने के बावजूद भी पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गये हैं ;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त हुई पुल पुलिया की गुणवत्ता की जाँच कर अमियमितता में संलिप्त संवेदक/अभियंताओं को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारणें की तकनीकी जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोषी संवेदकों एवं अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 154/2017/ग्रा0का0 9293 राँची, दिनांक : 08-8-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2361 वि0स0 दिनांक 05.08.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 154/2017/ग्रा0का0 9293 राँची, दिनांक : 08.8.17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 154/2017/ग्रा0का0 9293 राँची, दिनांक : 08.8.17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

मा0, स0वि0स0, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 09.08.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला को पलामू प्रमण्डल से जोड़ने वाली अतिमहत्वपूर्ण लाईफलाइन कही जाने वाली सड़क NH-75 का कार्य 2010 से प्रारंभ है, एवं शाहपुर गढ़वा पथ का निर्माण कार्य विगत दो वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया है ;	1. गढ़वा जिलान्तर्गत एन0एच0–75 के कि0मी0 182 (पड़वा मोड) से कि0मी0 259.725 (मूरीसेमर) तक दो लेन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य वर्ष 2011 में प्रारम्भ किया गया था । 2. शाहपुर–गढ़वा पथ का निर्माण कार्य 23.06.2015 से प्रारम्भ है ।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित निर्माणाधीन सड़कों का फिजिकल प्रोग्रेस क्रमशः NH-75 का 60% एवं शाहपुर–गढ़वा का मात्र 6% ही हुआ है, इन हुए कार्य के गुणवता पर ध्यान नहीं देने के वजह से बना हुआ सड़क भी लगातार टूट रहा है एवं अभी तक दर्जनों लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी है ;	एन0एच0–75 का अद्यतन भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत एवं एवं शाहपुर–गढ़वा पथ का 15.2 प्रतिशत है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित सड़कों के कार्य में विलम्ब के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का एवं मृत लोगों के परिजनों/आश्रितों को मुआवजा देने का एवं अविलम्ब गुणवतापूर्ण सड़क निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है । कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–11/2017 4564(S) राँची/दिनांक : 08/8/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2359 दिनांक 05.08.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

8-8-17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–11/2017 4564(S) राँची/दिनांक : 08/8/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

8-8-17

सरकार के उप सचिव।

22

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.08.2017 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–20

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत लातेहार सदर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बंन्दी के ग्राम सेमरियाटाँड़ उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के सामने एवं ग्राम कोदाग के बीच धरधरी नदी पर पूल का निर्माण नही हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पूल का निर्माण नही होने से दर्जना गाँव के लोग बरसात के दिनों में लातेहार जिला मुख्यालय से अलग–थलग पड़ जाते है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर पूल निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	माननीय स0वि0स0 से प्राथमिकता सूची प्राप्त होने तथा विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आधार पर पुल की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 153/2017/ग्रा0का0 9292 राँची, दिनांक : 08.8.17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2362 वि0स0 दिनांक 05.08.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 153/2017/ग्रा0का0 9292 राँची, दिनांक : 08.8.17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 153/2017/ग्रा0का0 9292 राँची, दिनांक : 08.8.17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(23)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे जानेवाले प्रश्न अल्प–सूचित सं0–22 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)**
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल प्रखण्ड चिनीया एवं रंका प्रखण्ड को जोड़ने वाली सड़क सिरोई कला से सिदे, बेसरी होते हुये रनपुरा तक 21 कि0मी0 एवं गढ़वा–अम्बिकापुर मुख्य पथ NH-343 के लरकोरिया मोड़ से कटरा, बघटवा होते हुए रंका चिनीया मुख्य पथ तक 16 कि0मी0 सड़क काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात भी सही है कि खण्ड (1) में वर्णित सड़क के जर्जर होने की वजह से करीब 40 गाँव के लोग आज भी विकास की किरण से कोसों दूर हैं एवं बरसात के दिनों में इन सड़कों पर पुल–पुलिया नहीं होने की वजह मानव के साथ–साथ पशुओं का भी चलना दुभर हो जाता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित सड़को का निर्माण कराकर 40 गाँव के लोगो को आवागमन की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–963 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....9294.....राँची, दिनांक 08.8.17

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके पत्रांक–2360 दिनांक–05.08.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–963 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....9294.....राँची, दिनांक 08.8.17

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

08/8/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–963 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....9294.....राँची, दिनांक 08.8.17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

08/8/17

सरकार के उप सचिव।

(24)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.08.2017 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21 की उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नगर पर्षद, हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन से संबंधित आवेदन ली गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजनाओं में लाभुकों के चयन में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदंड की अनदेखी की गई है जिसके कारण सही लाभुकों को उक्त योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना हेतु लाभुकों के चयन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित वार्ड तहसीलदार, वार्ड पार्षद, अमीन, पी०एम०सी० कर्मी, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, जिलास्तर से नामित्त पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक द्वारा कराया गया है तथा अयोग्य आवेदन अस्वीकृत किये गये है। नगर निकाय स्तर से भौतिक सत्यापन समिति के जांचोपरांत ही लाभुकों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2015–22 तक किया जाना है। अवशेष बचे योग्य लाभुकों का चयन आगामी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, जनहित में खण्ड–1 में वर्णित पर्षद में उक्त योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों की उच्चस्तरीय जांच कराकर संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/अ०सू०प्र०–05/2017 5085 राँची, दिनांकः 08/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–2363, दिनांक–05.08.2017 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक, विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/08/17

सरकार के अवर सचिव।

manju/E/Bidhan Shabh Quesa(New)-315